NTO 2.0 JUDGEMENT BY BOMBAY HIGH COURT

Bombay HC upholds TRAI's NTO 2.0. However, it slashed one condition that read that the price of a single channel cannot be more than one-third of the highest priced channel in that bouquet. The court has provided a 6-month grace period for implementation by the broadcasters. It will be interesting to see if the broadcasters or TRAI will appeal against this order. A detailed copy of the judgment is awaited. Stay tuned for more developments.

Scat Magazine reprints an earlier article on the NTO 2.0 which was featured last year highlighting key points of the amendments.

बंबई उच्च न्यायालय द्वारा एनटीओ 2.0 पर फैसला

बॉम्बे एचसी ने ट्राई के एनटीओ 2.0 को बरकरार रखा। हालांकि इसने एक शर्त को हटा दिया जिसमें कहा गया था कि एक चैनल की कीमत उस बुके में सबसे अधिक कीमत वाले चैनल के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है। अदालत ने प्रसारकों द्वारा कार्यान्वयन के लिए 6 महीने की छूट की अवधि प्रदान की है। यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रसारक या ट्राई इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे या नहीं। फैसले की विस्तृत जानकारी आने का इंतजार है। अधिक जानकारी के लिए पत्रिका को पढ़ते रहें।

स्कैट मैगजीन एनटीओ 2.0 पर एक पुराने लेख को फिर से प्रकाशित कर रहा है जिसमें कि पिछले साल संशोधनों के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया था।

On 1st January 2020, TRAI declared the much-awaited amendments to its 2017 Tariff Order. They were promised by end November 2019. Further, TRAI had indicated that the amendments would primarily fine-tune the 2017 orders rather than completely revamp them.

Listed below are specific details of the changes & their implications for our industry.

DISCOUNT CAP

The 2017 Tariff Order had excluded the key 15% cap on the discounts on Pay Channel Bouquets, despite the Supreme Court's approval of the clause. This was a key clause to prevent what the TRAI called "Perverse Pricing". As a result, broadcasters declared exorbitant a-la-carte rates and huge bouquet discounts, forcing enlarged bouquets of unwanted channels. Unfortunately, consumers had to pay an NCF of ₹ 1.30 per channel in these inflated bouquets.

Further, the 2020 regulation includes:

- A-La-Carte price of any channel cannot exceed the bouquet price.

SUMMARY OF AMENDMENTS

1. Max Price of Bouquet Channel Reduced To ₹ 12.
2. NCF
   a) 200 Channels must be delivered for an NCF not exceeding ₹ 130 (taxes extra) per month.
   b) The "Must carry" Channels will not be included in the 200 NCF Channels.
   c) Max NCF Chargeable is ₹ 160 per month for all channels on the platform.
   d) Max NCF for 2nd TV is 40% of 1st TV NCF.
   e) NCF discounts permitted for long term subscriptions of 6 months or more.

CARRIAGE FEE

Carriage Fee has been capped at ₹ 4 Lakh per channel per month.

CHANNEL PLACEMENT

More flexibility for channels in EPG
Channels of the same language in the same genre can be grouped together.

1 जनवरी 2020 को ट्राई ने काफी समय से लंबित अपने 2017 टैरिफ आदेश के लिए संशोधनों की घोषणा की। गौरतलब है कि 2019 के नवंबर तक इसका वादा किया गया था। इसके अलावा ट्राई ने संकेत दिया था कि संशोधन मुख्य रूप से 2017 के आदेशों को पूरी तरह से बदलने के स्थान में उन्हें ठीक करेगा।

नीचे हमारे उद्योग के लिए परिवर्तन व उनके प्रभावों का विशिष्ट विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

रियायत सीमा

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्लॉज को मंजूरी दिये जाने के बावजूद भी 2017 के टैरिफ आदेश ने पे चैनल बुके पर छूट पर महत्वपूर्ण 15% कैप को छोड़ दिया था। यह उसे रोकने के लिए महत्वपूर्ण खंड था जिसे कि ट्राई 'अनुचित कीमत निर्धारण' कहता था। परिणामस्वरूप प्रसारकों ने मनमाने ए–लॉ–कार्टे दरों व भारी बुके छूट की घोषणा की, जिससे अवांछित चैनलों के विशाल बुके के लिए बाध्य किया जाए। दुर्भाग्य से, उपभोक्ताओं को इन बढ़े–चढ़े बुके में 1.30 रुपये प्रति चैनल के एनसीएफ का भुगतान करना पड़ रहा था।

इसके अलावा, 2020 नियमन में शामिल हैः

- किसी चैनल का ए–लॉ–कार्टे मूल्य बुके मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है।

- Number of Pay Channel bouquets by a broadcaster, cannot exceed the number of a-la-carte pay channels, unless by TRAI's prior approval.

₹ 12 MAX BOUQUET CHANNEL PRICE

The maximum permitted a-la-carte price of any channel in a bouquet has been reduced from ₹ 19 to ₹ 12.

Higher priced channels are permitted, but must be offered outside of any bouquet, on an a-la-carte basis only.

NETWORK CAPACITY FEE (NCF)

In a relief to consumers the new regulations have maintained the same NCF of upto ₹ 130 + taxes but DPOs must deliver 200 channels for this NCF.

- The maximum NCF that can be charged has been capped at ₹ 160 per month.
- The maximum NCF for the 2nd TV is 40% of the first TV NCF.
- "Must Carry" Channels are to be delivered in addition to the 200 channels at the basic NCF slab.
- NCF can be discounted by DPOs for long term subscription plans of 6 months or more. There is no cap on the NCF discount. The NCF can even be reduced to zero by a particular MSO or DTH platform.

MSO-LCO REVENUE SHARE

No changes have been made to the revenue share arrangements between the MSO and LCO, as specified in the 2017 Tariff Order.

CARRIAGE FEES

No MSO or DTH platform can charge carriage fees of more than ₹ 4 lakh per channel per month.

CHANNEL PLACEMENT

As per the 2017 regulation, the EPG must group channels by genre. The 2020 amendment requires that within each genre, channels must be grouped by language.

It remains to be seen if the Broadcasters or TRAI will appeal this order. ■

- एक प्रसारक द्वारा पे चैनलों की संख्या, ट्राई की पूर्व स्वीकृति द्वारा, ए-लॉ-कार्टे पे चैनलों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है।

12 रुपये अधिकतम बुके चैनल मूल्य

बुके में किसी चैनल के अधिकतम अनुमति प्रदत्त ए-लॉ-कार्टे मूल्य को 19 रुपये से घटाकर 12 रुपये कर दिया गया है।

अधिक मूल्य वाले चैनलों को अनुमति होगी, लेकिन उसे किसी बुके के बाहर ऑफर किया जाना चाहिए और वह भी सिर्फ ए-लॉ-कार्टे के रूप में।

नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ)

उपभोक्ताओं को राहत के रूप में नये अधिनियम ने भी 130 रुपये (कर अतिरिक्त) तक के समान एनसीएफ को बरकरार रखा है, लेकिन इस एनसीएफ के लिए डीपीओ को 200 चैनलों की डिलिवरी करनी होगी।

- अधिकतम एनसीएफ जो लिया जा सकता है उसे 160रुपये प्रति माह पर सीमित किया गया है।
- दूसरे टीवी के लिए अधिकतम एनसीएफ पहले टीवी एनसीएफ का 40% होगा।
- वेसिक एनसीएफ स्लैब पर 200 चैनलों के अलावा 'मस्ट कैरी' चैनलों को डिलिवर किया जाना चाहिए।
- 6 महीने या अधिक की लंबी अवधि की सब्सक्रीप्शन योजनाओं के लिए डीपीओ द्वारा एनसीएफ पर छूट दी जा सकती है। एनसीएफ छूट पर किसी तरह की कैप नहीं है। एनसीएफ को किसी खास एमएसओ या डीटीएच प्लेटफार्म द्वारा घटाकर शून्य भी किया जा सकता है।

संशोधनों का सारांश

1. बुके चैनल के अधिकतम मूल्य को घटाकर 12 किया गया है।
2. एनसीएफ
   - ए. एनसीएफ के लिए 130 रुपये (कर अतिरिक्त) प्रति माह पर 200 चैनलों को डिलिवर किया जाना चाहिए।
   - बी. 'मस्ट कैरी' चैनल, 200 एनसीएफ चैनलों में शामिल नहीं होंगे।
   - सी. प्लेटफार्म पर सभी चैनलों के लिए लिया जाने वाला एनसीएफ 160 रुपये प्रति माह होगा।
   - डी. दूसरे टीवी के लिए अधिकतम एनसीएफ पहले टीवी एनसीएफ का 40% होगा।
   - ई. 6 महीने या अधिक के लंबे समय के सब्सक्रीप्शन के लिए एनसीएफ छूट को अनुमति दी गयी।

कैरिज शुल्क

कैरिज शुल्क को प्रति चैनल प्रति माह 4 लाख रुपये सीमित किया गया है

चैनल प्लेसमेंट

ईपीजी में चैनलों के लिए अधिक लोचशीलता।

समान वर्ग में समान भाषा के चैनलों को एकसाथ किया जा सकता है।

एमएसओ-एलसीओ राजस्व हिस्सेदारी

एमएसओ व एलसीओ के बीच राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है जैसाकि 2017 के टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट किया गया था।

कैरिज शुल्क

कोई एमएसओ या डीटीएच प्लेटफार्म 4 लाख रुपये प्रति चैनल प्रति माह से अधिक का कैरिज शुल्क वसूल नहीं कर सकता है।

चैनल प्लेसमेंट

2017 रेग्यूलेशन के मुताबिक वर्ग द्वारा ईपीजी, चैनलों को गुप करे। 2020 के संशोधन के तहत प्रत्येक वर्ग के भीतर चैनलों को भाषा द्वारा गुप किया जायेगा।

यह देखा जाना बाकी है कि प्रसारक या ट्राई इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे या नहीं। ■